साहेबगंज नगर परिषद्,

साहेबगंज।

–: सूचना :–

पत्रांक– ......677......./न0प0, दिनांक – 31/03/2017

सभी विक्रेताओं/क्रेताओं व सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है साहेबगंज नगर परिषद् क्षेत्रांन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैगों, आधानों, पाउच और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण और उपयोग के दौरान निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करेंगें, अर्थात् :–

1. कोई भी व्यक्ति गैरपुनःचक्रित योग्य, पटलित प्लास्टिक या धात्विक पाउच, बहु स्तरीय पैकेजिंग और अन्य गैरपुनःचक्रित योग्य प्लास्टिक का विनिर्माण, भंडारण वितरण या विक्रय नहीं करेगा।

2. कोई भी व्यक्ति अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक या जैव विघटनीय प्लास्टिक से बने कैरी बैगों का विनिर्माण, स्टॉक, वितरण, या विक्रय नहीं करेगा जो 12 X 18 इंच (30 X 45 सेंटीमीटर) के आकार से कम है और जिसकी मोटाई 40 माईक्रोन से कम हो।

3. कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने या वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रण प्लास्टिक या जैव विघटनीय प्लास्टिक से बने कैरी बैग या आधानों का उपयोग नहीं करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति जैव विघटनीय प्लास्टिक से कैरी बैग या आधानों या पाउच या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि वह भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088: 2008 शीर्ष ''जैव विघटनीय प्लास्टिक के लिए विनिर्देश'' को पूरा न करते हों।

5. खाद्य सामग्री को भंडार करने या पैकेजिंग करने से भिन्न प्रयोजनों के उपयोग के लिए पुनःचक्रित या जैव विघटनीय प्लास्टिक से बने कैरी बैगों और आधानों विनिर्माण ''खाद्य सामग्री भेषजीय और पेय जल के संपर्क में प्लास्टिक के उपयोग के लिए रंजकों रंगक की सूची नामक'' भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश भा.मा. 9833: 1981 के अनुरूप होंगे।

6. अप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग और आधान प्राकृतिक रंग के होंगे।

उपरोक्त शर्त्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमण, 1986 (1986 का 29) के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

31.03.17

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहेबगंज नगर परिषद्।

नोटः– विशेष जानकारी हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग (झारखण्ड सरकार) के वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in पर लॉग–इन करें।